उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–2
संख्या 2652 / XXXI(2) / 2016–6(7)प्रो0) / 2009 टी.सी.
देहरादून : दिनांक: 31 दिसम्बर / 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2004 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 के उपनियम (1) का संशोधन

2.(1) उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2004, जिसे यहां आगे मूल नियम कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) समीक्षा अधिकारी **(एक)** पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, **(दो)** पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो तो, एक बार चयन वर्ष 2008–09 के लिये मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा।	**(1) समीक्षा अधिकारी** **(एक)** पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, **(दो)** पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में **तीन वर्ष** की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा।

नियम 5 के उपनियम (2) का संशोधन :

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) सहायक समीक्षा अधिकारी **(एक)** पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, **(दो)** पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, निम्नलिखित अनुपात में पदोन्नति द्वारा: (क) टंकक–नब्बे प्रतिशत (ख) कनिष्ठ श्रेणी लिपिक–दस प्रतिशत। परन्तु यह कि यदि पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो तो एक बार चयन वर्ष 2008–09 के लिये मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कम्प्यूटर ऑपरेटर (टंकक) तथा कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा।	**(2) सहायक समीक्षा अधिकारी** **(एक)** पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, **(दो)** पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो तो, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कम्प्यूटर सहायकों, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम **तीन वर्ष** की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा; परन्तु यह और कि ऐसे कम्प्यूटर सहायक, जो तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत हो जायेंगे, वह अग्रिम स्तर पर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर मात्र तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पुनः प्रथम परन्तुक का लाभ प्राप्त कर समीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होगें।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव